

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 40/2016

थारिया पुत्र पिरिया जाति मेघवाल निवासी 3 डी.डी.ए. तहसील घडसाना जिला
श्रीगंगानगर।

—अपीलांत

बनाम

1. नक्षत्रसिंह पुत्र भागसिंह जाति जटसिख निवासी डी.डी.ए. तहसीलघडसाना
जिला श्रीगंगानगर।

2. राजस्थान सरकार।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा.का. अधि.1955

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना

दिनांक 02.12.2015

उपस्थिति:—

श्री विनित त्यागी, अभिभाषक अपीलांत


श्री सुशील गोदारा अभिभाषक सं. 1

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक :- 18.10.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया थारिया ने एक प्रा.पत्र
उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष सीपीसी की धारा 144 व 151 के तहत
पेश कर कथन किया कि प्रार्थी नक्षत्रसिंह की ओर से दिनांक 16.12.2010 को
एक प्रा.पत्र पेश कर चक 3 डी.डी.ए. के मु.नं. 182/11, 182/19, 182/27,
182/35 के कि.नं. 21 से 25 में रास्ता दुरुस्त करवाने व चालू कराने का पेश
किया जो दिनांक 10.01.2011 को रास्ता का नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में
अमलदरामद करने का आदेश दिया जिसके विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के
अपील पेश की जो दिनांक 13.06.2013 को खारिज कर दी जिसके विरुद्ध
माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की जो दिनांक 05.01.2015 को स्वीकार


18/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)



कर राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश दिनांक 13.06.2013 एवं उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 10.01.2011 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। चूंकि राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी में आदेश निरस्त किये गये हैं। अतः राजस्व मण्डल के आदेश की पालना में पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना न्यायोचित है। अतः 10.01.2011 की पालना में दर्ज किया गया इत्तकाल व रास्ता खुलवाये जाने के आदेश को वापस लिया जाकर दिनांक 10.01.2011 से पूर्व की स्थिति पदस्थापन करने के आदेश दिये जावे।

प्रा.पत्र का जबाब अप्रार्थी द्वारा दिया गया एवं प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

सुनवाई करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी घडसाना ने दिनांक 02.12.2015 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की है।


उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि जब उपखण्ड अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त कर दिया था तो अधी. न्यायालय को पूर्व की स्थिति बहाल करनी चाहिए थी जो अधी. न्यायालय ने नहीं करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया गया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। सुनकर प्रकरण का निर्णय अधी. न्यायालय द्वारा किया जाना है। रिमाण्ड प्रकरण में 144 सीपीसी के प्रा.पत्र का कोई औचित्य नहीं रहता है। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।


अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के निर्णय दिनांक 02.12.2015 के विरुद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा सीपीसी की धारा 144 व 151 का प्रा.पत्र खारिज किया है। अधी. न्यायालय की पत्रावली


18/10/13
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)



का अवलोकन किया। अपील का सार बिन्दु यह है कि अधी. न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.01.2011 द्वारा जिस रास्ता को रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये थे जो सिलसिलेवार अपीलों/राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील खारिज की तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.01.2015 द्वारा आदेश पारित किया है कि यह अपील स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर का आलौच्य निर्णय दिनांक 13.06.2013 व उपखण्ड अधिकारी घडसाना का आलौच्य आदेश दिनांक 10.01.2011 अपास्त कर यह प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी घडसाना को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि वह हस्तगत प्रकरण में व्यथित समस्त पक्षकारों व रेस्पों. को सुनकर, रेस्पों/प्रार्थी के आवेदन पर विधिपूर्वक आदेश पारित करें। पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। अगर पक्षकारान अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते तो उपखण्ड अधिकारी घडसाना नियमानुसार व्यथित पक्षकारान व प्रार्थी पक्ष को नोटिस जारी करेंगे। प्रकरण की परिस्थिति अनुसार मण्डल द्वारा जारी स्टे आदेश दिनांक 24.09.2013 उपखण्ड अधिकारी घडसाना द्वारा पारित किये जाने अन्तिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।


उपरोक्त निर्देशों की पालना में उपखण्ड अधिकारी घडसाना द्वारा किये निर्णय दिनांक 10.01.2011 को अपास्त किया गया है। अतः उपखण्ड अधिकारी घडसाना को दिनांक 10.01.2011 की पूर्व की स्थिति बहाल कर विधिपूर्वक आदेश जारी करें। परन्तु अधी. न्यायालय सीपीसी की धारा 144 व 151 का प्रा.पत्र खारिज कर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 05.01.2015 की अवहेलना की है। अपितु न्याय की मंशा ही खत्म की दी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं आदेश दिनांक 02.12.2015 निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी घडसाना के निर्णय दिनांक 10.01.2011 की क्रियान्विति में जो भी रिकार्ड में तब्दिलियां की गई हैं उन्हें निरस्त कर दिनांक 10.01.2011 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं यथा नामांतरणकरण सं. 123 व


18/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)



रास्ता खुलवाने का प्रभाव शून्य माना जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 05.01.2015 की अक्षरतः पालना की जाकर गुणावगुण के आधार पर विधिपूर्वक निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(प्रमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

